रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 671] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2018/भाद्र 30, 1940
No. 671] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2018/BHADRA 30, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. 909(अ).—केन्द्रीय सरकार विशेष आर्थिक जोन अधिनियम,2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम,2006 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम,2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में से नियम 2, उप – नियम (1) खण्ड (ट) और (ठ) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियम में, नियम 3 में शब्दों 'राज्य सरकारों की सिफारिश' के पश्चात निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगें, अर्थात:-

" गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अनापत्ति के लिए सिफारिशें "

4. उक्त नियम में, नियम 4 में शब्द ' के साथ' के स्थान पर' संबंधित अधिकारिता वाले विकास आयुक्त के माध्यम से' रखे जाएंगे ।

5. उक्त नियम में, नियम 5 में, -

(i) उप – नियम (2), खण्ड (ख), उप –खण्ड (ii) में शब्दों 'सूचना प्रौद्योगिकी अथवा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं' के पश्चात शब्द जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्र (अस्पतालों को छोड़कर),' अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप- नियम (5), खण्ड (क) में 'राज्य और स्थानीय करों' के पश्चात शब्द ' राज्य माल और सेवा कर' , अंत:स्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियम में, नियम 11 में, -

(i) उप –नियम (2) में, पहले परंतुक में शब्द 'बोर्ड'के स्थान पर शब्द अनुमोदन समिति' रखे जाएंगे ।

(ii) उप –नियम (9) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा,
अर्थात :-

" (9क) विकासकर्ता विशेष आर्थिक जोन में पदस्थापित विकास आयुक्त एवं सीमाशुल्क अधिकारियों के कार्यालयों के लिए लागू केन्द्रीय लोक कार्य विभाग में मानकों के अनुसार उचित एवं पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करेगा । "

7. उक्त नियम में, नियम 11 क में, खण्ड (1),-

(i) "सेवा कर" शब्द के स्थान पर " केन्द्रीय माल और सेवा कर, समेकित माल एवं सेवा कर और राज्य माल एवं सेवा कर " रखे जाएंगे ।

(ii) उप – खण्ड (ख) में, शब्दों "स्टाम्प डयूटी" के पश्चात शब्दों ' राज्य माल और सेवा कर,' को अंत: स्थापित किया जाएगा;

8. उक्त नियम में, नियम 12 में,-

(i) उप –नियम (6) में, शब्दों 'माल' के पश्चात शब्दों "और सेवाएं" को अंत: स्थापित किया जाएगा।

(ii) उप – नियम (7) में , शब्दों " स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर से माल" के स्थान पर शब्दों ' यथास्थिति स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर अथवा स्वतंत्र चार्टर्ड लेखाकार अथवा लागत लेखाकार,से माल एवं सेवाएं को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. उक्त नियम में, नियम 17, उप –नियम (1) में,-

(i) शब्दों 'पांच प्रतियों में ' का लोप किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-

"(ट) माल और सेवा कर रजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, "

10. उक्त नियम में, नियम 18 में,-

(i) उप –नियम (2), खण्ड (i) शब्दों " मुद्रा अर्जन की " के बाद, " व मूल्य वृद्धि अर्जन आवश्यकता, जैसा भी मामला हो, रखा जाएगा ।; "

(ii) उप –नियम (3) में,-

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-

(क) विशेष आर्थिक जोन से माल का निर्यात प्रवर्तमान निर्यात नीति के अध्यधीन होगा यथा उपबंधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) निर्यात एवं आयात मद, 2017 की अनुसूची 2 में अभिप्रेत है, ''

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-

'' (ख) रत्न और आभूषण के लिए, न्यूनतम मूल्य वृद्धि अर्जन आवश्यकता प्रचलित विदेश व्यापार नीति अथवा प्रक्रिया पुस्तिका, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए है, में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होगी, '' ;

(iii) उप – नियम (4) के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'' 4 **(क)** विशेष आर्थिक जोन में विधमान प्लास्टिक अथवा पुरानी वस्त्र इकाइयों के लिए:- ''

(क) उप इकाइयों की स्थापना के लिए ब्रांड बैडिंग एवं अनुज्ञप्ति के विखंडन की अनुज्ञा नहीं होगी और इकाई के सभी संव्यवहार एकल बैंक खाते के माध्यम से विनियमित होंगे;

(ख) ऐसी किसी इकाई के तृतीय पक्षकार निर्यातों को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ग) ऐसी सभी इकाइयां पुराने कपड़ों अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट से उत्पाद बनाने के लिए सुविधाएं स्थापित करेगी;

(घ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र को पुराने कपड़ो की खेप की बिक्री की शत प्रतिशत जांच शुरू की जाएगी।

(4**ख**) विशेष आर्थिक जोन में खेप की निकासी से पहले प्रलेखों के सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :-

(क) ईकाई द्वारा आयातित पुराने कपड़ो की प्रत्येक खेप के साथ आधान के संक्रमण रहित एवं सुवासित होने का आयात प्रलेखों के साथ पुराने कपड़ो के मूल देश में अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी अभिकरण से उस निर्यातक अथवा अभिकरण का प्रमाण पत्र साथ लगा होगा जिसमें यह बना था;

(ख) किसी विषाक्त अथवा हानिकारक पदार्थ के मामले में आयातक द्वारा गैर घोषणा के मामले में ऐसे किसी आयातक द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के सुसंगत उपाबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;

(ग) यह सुनिश्चित करने कि विशेष आर्थिक जोन में पुराने कपड़ो की पुन: प्रसंस्करण इकाईयां अपनी निवल विदेशी विनिमय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के साथ ही अपनी निर्यात प्रतिबद्धताओं की पूरा करेंगी और ऐसी सभी इकाइयों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इकाईयों के वार्षिक आवर्त का नियत प्रतिशत देश से बाहर निर्यात हो;

(घ) घरेलू टैरिफ क्षेत्र को पुराने कपड़ों की निकासी से पहले,ऐसे पुराने कपड़ो की सभी आयातित खेपों का विशेष आर्थिक जोन प्राधिकारियों द्वारा शत प्रतिशत सत्यापन इकाई के परिसर में किया जाएगा;

11. उक्त नियम में, नियम 19 में, उप-नियम (2) में,-

(क) शब्दों "विनिर्माण की मदे " के पश्चात शब्द " व इससे संगत भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलीकृत प्रणाली) निर्यात एवं आयात मदें ,2017" के साथ अंत: स्थापित किया जाएगा;

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'' परंतु यह और भी कि अनुमोदन समिति उसी कंपनी या फर्म की दो या अधिक इकाइयों के अनुमोदन पत्र के आमेलन हेतु प्रस्तावों को भी अनुमोदित करेगी इस शर्त के अध्यधीन होगा कि ये इकाइयों उसी विशेष आर्थिक जोन

में होगी और आमेलन के पश्चात निवल विदेशी विनिमय की गणना के ब्लॉक अवधि पहले उत्पादन आरंभ करने वाली इकाई के उत्पादन शुरू होने की तारीख से की जाएगी और आयकर में छूट की अवधि के लिए पहली इकाई के प्रचालन शुरू होने की तारीख में लागू होगी; ''

(ग) उप – नियम (6) के पश्चात, निम्न लिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'' (6 **क**) (1) जो इकाइयां अनुमोदन पत्र की विधिमान्यता का नवीकरण कराना चाहती हैं उन्हें अनुमोदन पत्र खत्म होने की तारीख से दो महीने पहले मालिक अथवा प्रबंधन प्रतिभागी अथवा यदि कंपनी के प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक (निदेशकों) अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो कंपनी के निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से संकल्प द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो, द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित आवश्यक प्रलेखों के साथ प्ररूप च 1 में पूरे आवेदन पत्र के साथ विकास आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा। ''

परंतु उक्त दो महीनों की अवधि में आवेदन प्रस्तुत न किए जाने पर ऐसा आवेदन अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उक्त समिति संतुष्ट है कि उक्त अवधि से पहले आवेदन न करने के पर्याप्त कारण थे, ऐसे आवेदन को स्वीकार करने का निदेश दे सकती है।

(2) खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन के मामले में अनुमोदन पत्र पर नवीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(3) विकास आयुक्त उप –नियम (6ख) के अनुसार इकाई के मूल्यांकन के आधार पर प्ररूप च 2 में पांच वर्ष अथवा इससे कम अवधि के लिए अनुमोदन पत्र का नवीकरण कर सकता है।

(6 **ख**) : अनुमोदन पत्र का नवीकरण निम्नलिखित मानदण्डों के मूल्यांकन पर आधारित होगा, अर्थात:-

(i) आखिरी ब्लॉक में इकाई के निर्यात निष्पादन की तुलना में इकाई द्वारा प्रस्तुत आंरभिक निर्यात प्रक्षेपण।

(ii) प्रक्षेपित रोजगार के संदर्भ के साथ वास्तविक रोजगार सृजन।

(iii) इकाई की कार्य प्रणाली से संबंधित लागू कानूनों के उल्लंघन के मामले।

(iv) कानूनी संदाय में चूक के मामले, यदि कोई हो।

(v) कोई ऐसा कार्यकलाप शुरू करना जो विकास आयुक्त द्वारा मंजूरी अथवा अनुमोदित न हो।

(vi) इस संबंध में विकास आयुक्त अथवा अनुमोदन समिति का निर्णय अंतिम होगा और एक कंपनी द्वारा अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील के मामलों के सिवाए नियम 55 के अनुसरण में इकाई पर बाध्यकारी होगा।

12. उक्त नियम में, अध्याय 4 में,अध्याय के शीर्षक स्थान पर निम्नलिखित अध्याय शीर्षक को रखा जाएगा, अर्थात:-

"छूट लेने, वापसी और रियायतों सहित प्रचालन की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु निबंधन और शर्तें "

13. उक्त नियम में, नियम 22 में,

(i) उप-नियम (1) में; -

(क) शब्दों "प्रदान करने " के पूर्व शब्दों "प्राप्त करने के साथ प्रचालन की अनुज्ञा" को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (ii) में शब्द "ठेकेदार" के पश्चात " उप ठेकेदार सहित" को अंत: स्थापित किया जाएगा।

(ग) खण्ड (iv) में;

(क) उप खण्ड (ख) में ;

(क) शब्दों "आयात अथवा उपापन" के पश्चात दोनों स्थानों पर शब्द "माल और सेवा" को रखा जाएगा;

(ख) शब्दों " पैंकिग सामग्रियों" के पश्चात शब्द "और सेवाएं" अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ग) उप –खण्ड (ग) में, शब्दों के " अतिरिक्त माल " के पश्चात शब्द "और सेवाएं" अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप –नियम (2) में, शब्दों " और ऐसे लेखें" के स्थान पर शब्द "हार्ड कॉपी में रजिस्टर के रूप में अथवा समय के उल्लेख के साथ डिजीटल रूप में," रखे जाएंगे ।

14. उक्त नियमों में, नियम 24 में, उप – नियम (1) में ;

(i) शब्दों " और शुल्क पात्रता पासबुक क्रेडिट" का लोप हो जाएगा;

(ii) खण्ड (क) में;

(क) शब्दों "निर्यात के निर्धारित बिल" के पश्चात शब्दों 'अथवा माल एवं सेवा कर विधियों के अंतर्गत निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट समकक्ष दस्तावेज को अंत: स्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक में शब्दों एवं अंकों ''सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995'' के लिए शब्दों और अंकों " सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 2017, जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं " को रखा जाएगा;

(iii) उप खण्ड (ख) का लोप किया।

(iv) उप –नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

(2) जहां निर्यात पत्र सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 2017 जो समय-समय पर संशोधित किए गए हैं, के अंतर्गत वापसी अथवा ऐसी ही किसी स्कीम के लिए किए गए दावों के तहत अधिकथित किए जाते है । इकाई अथवा विकासकर्ता विनिर्दिष्ट अधिकारी के पास इसके लिए दावा करेगा और यदि इकाई अथवा विकासकर्ता ऐसे फायदों का दावा नहीं करता है तो ऐसे फायदों के दावों हेतु घरेलू टैरिफ क्षेत्र आपूर्तिकर्ता को इसका दावात्याग दिया जाएगा ।

परंतु पूर्वोक्त फायदा का दावा घरेलू टैरिफ क्षेत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा यथास्थिति माल और सेवाकर के अधिकारिता क्षेत्र अथवा केन्द्रीय उत्पाद – शुल्क आयुक्त, के पास किया गया हो ।

(3) घरेलू टैरिफ क्षेत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति के लिए सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 2017, जो समय-समय पर संशोधित किए गए है, के अंतर्गत वापसी अथवा ऐसे ही कोई अन्य लाभ स्वीकार्य होंगे जहां आपूर्ति के लिए संदाय इकाई के विदेशी मुद्रा खाते से किए जाते हैं ।

परंतु घरेलू टैरिफ क्षेत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ताओं को माल की आपूर्ति के लिए वापसी अथवा ऐसी ही लाभ स्कीम के बदले में शुल्क की प्रतिपूर्ति स्वीकार्य होगी यदि भुगतान भारतीय रूपये में हो और विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वापसी अथवा ऐसे ही किसी अन्य लाभ के बदले में शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 2017 जो समय-समय पर संशोधित किए गए है, के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

IndiaCode

15. उक्त नियम में, नियम 25 में,-

(क) शब्दों, अंकों एवं कोष्ठकों के स्थान पर " केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम,1992 और वित्त अधिनियम,1994 (सेवा कर के संदर्भ में) " के लिए शब्द,अंक एवं कोष्ठक " केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (2017 का 12), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (2017 का 13), राज्य माल और सेवा कर अधिनियम,संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम,2017 (2017 का 14) और विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम,1992 (1992 का 22) रखे जाएंगे ।

(ख) पंरतुक में शब्दों " विदेशी मुद्रा अर्जन " के पश्चात "अथवा निर्धारित मूल्य वृद्धि," रखे जाएंगे ;

16. उक्त नियम में, नियम 26 में

(i) चौथे परंतुक में शब्दों " लौह अयस्क" के स्थान पर शब्द "अथवा किसी भी अयस्क की घरेलू टैरिफ क्षेत्र से आपूर्ति" रखे जाएंगे।

(ii) चौथे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुकों को रखा जाएगा, अर्थात : -

'परंतु यह भी कि विशेष आर्थिक जोन इकाइयों को निषिद्ध मदों के निर्यात की अनुमति होगी यदि वे इसके लिए कच्ची सामग्री का आयात करती है किंतु ऐसा प्रत्येक मामला अनुमोदन के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा:

परंतु यह और भी कि आयात के लिए जो मदें निषिद्ध हैं, विशेष आर्थिक जोन इकाईयां को इनके आयात की अनुमति होगी यदि वे इससे बने माल का निर्यात करते है ' किंतु ऐसे मामले अनुमोदन के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे।'

17.उक्त नियमों में नियम 27 में

(i) उप – नियम (1) में

(क) " जैव-प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट" के पश्चात " अथवा भांडागार " शब्द को अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ख) पहले परंतुक में " ठेकेदारों" शब्द के पश्चात " उप – ठेकेदारों सहित" अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(ग) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुकों को अंत: स्थापित किया जाएगा अर्थात:-

परंतु यह और भी कि विशेष आर्थिक जोन विकासकर्त्ता या 'इकाई' को घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट द्वारा निषिद्ध मदों की आपूर्ति की जा सकती है बशर्ते घरेलू टैरिफ क्षेत्र विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या यूनिट को अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना या यूनिट की स्थापना के लिए ऐसी मदों की आपूर्ति कर सकता है और यह अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष आर्थिक जोन को रेफ्रिजरेशन, कटिंग, पोलिश और ब्लेडिंग अतिरिक्त विनिर्माण प्रचालनों के लिए कच्चे माल की अपूर्ति भी कर सकता है:-

परंतु यह और भी कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन को की गई आपूर्तियों पर, निर्यात शुल्क लगने वाली मदें होने की स्थिति में, निर्यात शुल्क संदाय होगा।

(ii) उप – नियम (3), -

(क) "के आयात" शब्द के पश्चात " एवं घरेलू उपापन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ख) " बोर्ड" शब्द के स्थान पर "एवं घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपापन अनुमोदन समिति" ।

18 उल्लिखित नियम 30 में, -

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

(i) किसी इकाई या विकासकर्त्ता को माल या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रदायकर्ता द्वारा धारा 16 के उपाबंधों के एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) के अनुसार कर-मुक्त होने की स्थिति में विनिर्माता या प्रदायकर्ता द्वारा निर्यात के लिए संबंधित केन्द्रीय उतपाद शुल्क कानून में निर्धारित दस्तावेजों के आवरण पर या तो कोई बंधपत्र या विधिक परिवचन अथवा माल व सेवा कर विधि या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत अनुमत प्रक्रिया के तहत, अथवा छूट के दावे के तहत शुल्क या भुगतान किए गए माल की निकासी कार्रवाई की जाएगी ।

(ख) उप –नियम (2) में

(i) " माल" शब्द के पश्चात " या सेवाएं" अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ii) " केन्द्रीय उत्पाद शुल्क" शब्दों के स्थान " माल और सेवा कर" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) अक्षरों और अंकों " एआरई-1, के स्थान पर नियम 30 के उप-नियम-(1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(ग) उप-नियम (3),(4) और (7) में, अक्षरों और अंकों के स्थान पर " ए आर ई-1" के स्थान पर नियम 30 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों " शब्द कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

(घ) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, यथा:-

" (4) समस्त माल के प्रवेश-पत्र सहित उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रतिलिपि या निर्यात बीजक की एक प्रति यथा उपयुक्त को निर्यात का प्रमाण माना जाएगा और यूनिट और विकासकर्त्ता द्वारा माल और सेवा कर अथवा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, जिसके पास घरेलू टैरिफ क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र हो, को पैंतालीस दिन के भीतर यह प्रवेश-पत्र अग्रेषित करना होगा, ऐसा न कर पाने की स्थिति में माल और सेवा कर अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी, यथा स्थिति, घरेलू टैरिफ क्षेत्र प्रदायकर्त्ता से कर या शुल्क की मॉग करेगा।

(ड.) उप-नियम (5), (8), (9) का लोप किया जाएगा।

(च) उप-नियम (11) में शब्दों "प्रतिअदायगियो" के बाद " ऐसे अन्य फायदों अथवा" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

19. उक्त नियमों में नियम 31 और 32 का लोप किया जाएगा।

20. उक्त नियमों में, नियम 34 में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, यथा:,

" यदि कोई यूनिट आयातित माल ओर सेवाओं या घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उपापनों को उपयोग करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में, -"

(i) माल का निर्यात करेगा , या

(ii) इसे अन्य यूनिट अथवा निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या जैव प्रौद्योगिकी पार्क को बिना शुल्क अदायगी के विक्रय कर दिया जाएगा।

(iii) एक निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या जैव प्रौद्योगिकी पार्क को विक्रय कर दिया जाएगा।

(क) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के अधीन यथा लागू एकीकृत माल व सेवा कर के संदाय होने पर; और

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 15) की प्रथम अनुसूची में लागू सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा-3 के उप-धारा (1), (3) और (5) के तहत अतिरिक्त करों, यदि कोई हो, के संदाय के बिना और ऐसी बिक्री राजस्व विभाग और द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (7) और (9) के अन्तर्गत लगाए गए एकीकृत करों ओर प्रतिकर फीस के बिना ये छूटें लागू होंगी ;

(iv) घरेलू टैरिफ क्षेत्र क्रेता द्वारा आयात अनुज्ञप्ति जमा कराने के आधार पर लागू शुल्कों और करों का संदाय होने पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र द्वारा माल का निपटान।

21. उक्त नियमों में, नियम 37 में, पार्श्व-शीर्षक में " या सेवाओं" शब्दों को लोप किया जाएगा।

22. उक्त नियम में, नियम 41 में,

(i) उप –नियम (1), के खंड (ज) में " केन्द्रीय उतपाद – शुल्क अधिकारी" के पश्चात " या केन्द्रीय शुल्क अधिकारी" अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ii) उप –नियम (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा:-

"(ग) विदेशों में उप-संविदा की दशा में या तो माल यूनिट को लौटा दिया जाए या उसी देश के या किसी तृतीय देश के क्रेताओं को विक्रय किया जा सकेगा।"

23. उक्त नियमों में, नियम 42 में,

(i) उप-नियम (i) में, खण्ड (ii) में उप-खण्ड (ख) में शब्द " केन्द्रीय उत्पादशुल्क" के स्थान पर " माल और सेवा कर" रखा जाएगा।

(ii) उप-नियम (2) में, -

(क) खण्ड (i) में " केन्द्रीय उत्पादशुल्क विभाग में" शब्दों के स्थान पर " माल एवं सेवा कर के अधीन" सम्मिलित किया जाए।

(ख) खण्ड (v) में, परंतुक का लोप किया जाएगा।

(iii) उप – नियम (3) में शब्दों "शुल्क के भुगतान पर इनकी निकासी इस प्रकार की जा सकेगी मानो उक्त अपशिष्ट या स्क्रैप या अवशिष्ट की यूनिट द्वारा निकासी की गई हो या यदि उप संविदाकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु पंजिकृत है तो उसे क्षेत्रीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में उप संविदाकार के परिसर में नष्ट किया जा सकेगा।" के स्थान पर शब्दों "आयातों पर लागू शुल्क के समान राशि के भुगतान पर उक्त अपशिष्ट या स्क्रैप या अवशिष्ट की यूनिट द्वारा निकासी की गई हो या उप संविदाकार माल और सेवा कर हेतु पंजिकृत हो तो उसे क्षेत्रीय माल और सेवा कर अधिकारी की उपस्थिति में उप संविदाकार के परिसर में नष्ट किया जा सकेगा।" रखा जाएगा।

IndiaCode

24. उक्त नियमों में, नियम 43 में, खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात -

"परंतु"

(i) विशेष आर्थिक जोन के केवल अस्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों, यात्रा करने वाले कर्मचारियों और कार्यक्षेत्र से दूर कर्मचारियों को ही घर से अथवा विशेष आर्थिक जोन के बाहर क स्थानों से निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा दी जा सकती हैं, यथा:-

(क) व्यक्ति विशेष आर्थिक जोन यूनिट का कर्मचारी होगा।

(ख) व्यक्ति द्वारा विशेष आर्थिक जोन यूनिट की परियोजना से संबंधित कार्य किया जाना चाहिए।

(ग) विशेष आर्थिक जोन इकाई जिसमें कर्मचारी कार्यरत है उस यूनिट द्वारा तैयार उत्पाद का निर्यात राजस्व अथवा सेवाएं सुनिश्चित करेगा और किसी भी दशा में घर से कार्य द्वारा सेवाओं का निर्यात विशेष आर्थिक जोन के बाहर से नहीं किया जाएगा।

(ii) विशेष आर्थिक जोन यूनिट में घरेलू टैरिफ क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा इकाइयों द्वारा मद (i) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अपना कार्य किया जाएगा।

(iii) घर से कार्य करने के लिए विशेष आर्थिक जोन यूनिट कर्मचारी और विशेष आर्थिक इकाई की परियोजना से संबंधित कार्य के बीच सह-संबंध स्थापित करने के प्रयोजन के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप और संरक्षित संयोजकता यथा वीपीएन, वी.डी.आई इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv) यदि कोई कर्मचारी विशेष आर्थिक जोन की परियोजना का भाग नहीं रहता तो उस कर्मचारी को संबंधित विशेष आर्थिक जोन यूनिट से अनटैग (हटा) कर दिया जाएगा और यूनिट नियम 70 के उप नियम (2) के अनुसार विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्रारूप 'ट' से जारी किए गए स्थायी पहचान-पत्र का अभ्यर्पण कर देगा।

(V) दूरसंचार विभाग के साथ अन्य सेवा-प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत विशेष आर्थिक जोन यूनिटों के लिए घर से कार्य करने का लाभ उठा रहे विभाग द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए जारी समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देश का विशेष आर्थिक जोन यूनिट द्वारा पालन किया जाएगा।

25. उक्त नियमों में नियम 46 में,

(i) उप-नियम (i) में, -

(क) खण्ड (क) के परन्तुक में, "पच्चीस हजार अमरीकी डालर तक के निर्यात मूल्य या ऐसे निर्यात मूल्य के लिए,जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए"। शब्दों और अक्षरों के स्थान पर " ऐसे निर्यात मूल्य के लिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ग) में " यूनिट द्वारा स्व-प्रमाणन" शब्दों के पश्चात " तथापि यदि भारत से व्यापारिक वस्त्रों के निर्यात के स्कीम से व्यापार निर्यात प्रसुविधा का दावा किया जाता है तो निर्यात माल का परीक्षण केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित परीक्षण मानदण्डों के आधार पर किया जाएगा और इसे" अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम – (11) में "गुलाबी" शब्द का लोप किया जाएगा।

(iii) उप – नियम (12), में, -

(क) खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात:-

"(i) प्राप्त करने वाली निर्यातोन्मुख यूनिट या इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट के घरेलू उपभोग के लिए पाँच प्रतियों में बीजक, सूचना की प्रति क्षेत्रीय सीमा-शुल्क अधिकारी को सीमा शुल्क विनिमय 2017 के नियम-5 (करों की रियायती दरोंपर माल का आयात) और प्राधिकृत अधिकारी पैकिंग सूची के साथ साथ अनुमोदन पत्र की प्रति और बांडिंग लाइसेंस भी प्रस्तुत करेगा।"

(ख) खण्ड (iii) में " पुन:भाण्डागारण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर "राजपत्र में का.आ. 2566 (अ) तारीख 29 जुलाई, 2016 द्वारा अधिसूचना सं. 44/2016-सीमा शुल्क तारीख 29 जुलाई, 2016 " के निबंधनों के अनुसार केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क द्वारा अधिकथित प्रक्रिया की अनुपालना करेगा और उसमें विनिर्दिष्ट दस्तावेज।" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(iv) उप –नियम (13), में,

(क) ' केन्द्रीय उत्पाद' शब्द, जहाँ कहीं हों, के स्थान पर "राज्य कर अधिकारी या केन्द्रीय कर अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खण्ड (ii) में, "भाण्डागारण प्रविष्टि पत्र" शब्दों के स्थान पर "घरेलू उपभोग के लिए प्रविष्टि - पत्र " शब्द रखे जाएंगे।

(ग) खण्ड (iii) में " पुन:भाण्डागारण प्रमाण-पत्र" शब्दों के स्थान पर " नियम 46 के उप-नियम (12) के खण्ड (iii) के अधीन अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को लिखा जाए।

26. उक्त नियमों में, नियम 49 में "शुल्क" शब्द के पश्चात " या एकीकृत माल और सेवा कर " अंत:स्थापित किया जाएगा ।

27. उक्त नियमों में, नियम 50 में ' शुल्क' शब्द के पश्चात " और एकीकृत माल और सेवा कर" अंत:स्थापित किया जाएगा ।

28. उक्त नियमों में, नियम 53 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा:- अर्थात,-

" 53 शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन – यूनिट धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगी जिसकी गणना उत्पादन शुरू होने से पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए समग्र रूप से निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार की जाएगी:-"

धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा =क-ख>0

जहाँ,-

क निर्यातों का बोर्ड पर्यन्त निशुल्क मूल्य हैं जिसमें यूनिट द्वारा नेपाल और भूटान से पूर्णत: परिवर्तनीय मुद्रा द्वारा निर्यात और विशेष आर्थिक जोन में उनके उत्पादों की आपूर्ति का निम्नलिखित मूल्य, तथा सेवाओं (कारोबारी माल के सिवाय) का मूल्य भी है, अर्थात:-

(क) अग्रिम प्राधिकार के या वार्षिक आवश्यकताओं के लिए अग्रिम प्राधिकार या विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत शुल्क छूट या माफी स्कीम के अधीन कर मुक्त आयात प्राधिकार के संबंध में माल की आपूर्ति;

IndiaCode

(ख) विदेश व्यापार नीति के अधीन पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन स्कीम के अधीन लाइसेंस धारकों को पूंजीगत माल की आपूर्ति;

(ग) बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों द्वारा या उन अभिकरणों की प्रक्रियाओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित निधियों, जिनमें सीमा शुल्क शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन के लिए विधिक करारों में व्यवस्था है, द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति;

(घ) किसी परियोजना या प्रयोजन हेतु जिनके संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अधीन सीमा-शुल्क मुक्त माल के आयात की अनुमति दी हो परन्तु उक्त अधिसूचना में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अधीन आपूर्ति की गई हो।

(ड.) संयुक्त राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके राजकीय कार्यों या उक्त संयुक्त राज्यों अथवा अंतराष्ट्रीय संगठनों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए माल की आपूर्ति की गई हो और ऐसे संगठनों की सूची और ऐसी आपूर्तियों के लिए मान्य स्थितियाँ जिन्हें समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हों,

(च) परन्तु यह और कि वे नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को माल की आपूर्ति विदेश व्यापार नीति में विहित शर्तों के अनुसार हों;

(छ) विदेश व्यापार नीति के अधीन माल की नि:शुल्क आयात की विशेष हकदारी के अधीन आपूर्ति;

(ज) विशेष आर्थिक जोन के भीतर प्रदान की गई सेवा में या ऐसी सेवाएं जो भारतीय रुपए में प्रदान की गई जो हों कि अन्यथा भारतीय रुपए रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में देय मानी गई हो, सहित सेवा यूनिटों द्वारा सेवाओं का निर्यात;

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी करार की मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार या इलैक्ट्रानिक मदें यथा मॉनीटरों के लिए रंगीन डिस्प्ले ट्यूबें और रंगीन मॉनीटरों के लिए डिफ्लेक्शन संघटक या केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य मदों की आपूर्ति,

(ञ) उसी या अन्य विशेष आर्थिक जोन या निर्यातोन्मुख यूनिट अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर – प्रौद्योगिकी पार्क यूनिटों अथवा जैव प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट में अन्य यूनिटों और विकासकर्त्ताओं को आपूर्ति; परन्तु ऐसे माल और सेवाएं, ऐसी यूनिटों और विकासकर्त्ताओं के लिए आयात या उपापन के लिए अनुज्ञेय हो।

(ठ) किसी मुक्त व्यापार एवं भाण्डागारण जोन की यूनिट द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा पर माल की आपूर्ति,

स्पष्टीकरण:- संदेह दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि खण्ड (ञ) के अंतर्गत आपूर्तियाँ यथा लागू उपापन प्रमाण – पत्र पर की जाएंगी और खण्ड (घ) से (छ) के अंतर्गत आपूर्तिया केन्द्रीय सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संबंधित शुल्क छूट के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार की जाएगी।

ख: इसमें निम्नलिखित की रकम शामिल होंगी-

(क) सुसंगत अवधि के दौरान प्राधिकृत प्रचालनों के लिए प्रयुक्त सभी आयातित अथवा देशी निर्विष्टियों की लागत बीमा और भाड़े मूल्य की कुल रकम तथा समुद्र बीच आधार पर क्रय किए गए माल सहित भले ही इसके लिए भुगतान भारतीय रूपए में किया गया हो और निर्यात कमीशन, रायल्टी, शुल्क, लाभांशों पहले

पांच वर्षो की अवधि के दौरान निर्यात कमीशन, रायल्टी, शुल्क, लाभांशों, बाह्य वाणिज्यिक उधारों पर ब्याज या कोई अन्य प्रभारों के रूप में से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी संदामों का मूल्य

(ख) अन्य यूनिट या निर्यातोन्मुख यूनिट या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट या जैव प्रौद्योगिकी पार्क की यूनिट से या बांडेड भाण्डागारों से प्राप्त या भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों से उपाप्त माल या नाम निर्दिष्ट अभिकरणों से उपाप्त बहुमूल्य धातुओं का मूल्य

(ग) शुल्क मुक्त आयातित या किसी पट्टादाता कम्पनी से पट्टे पर लिए गए, निशुल्क और यूनिट के पास बने रहने की अवधि के लिए ऋण उधारों पर या अंतरण पर प्राप्त पूंजीगत माल के यथानुपात लागत बीमा भाड़े सहित माल और सेवाओं का लागत बीमा भाड़ा मूल्य:

स्पष्टीकरण:- खंड (क) के प्रयोजनों के लिए " निविष्टियों" से कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती, संघटक, खपत योग्य वस्तुएं, पुर्जे और पैकेजिंग सामग्री अभिप्रेत है।

(घ) शुद्ध विदेशी मुद्रा की वार्षिक संगणना हेतु आयातित पूंजीगत माल के मूल्य और विदेशी तकनीकी जानकारी फीस के एकमुश्त संदाय को प्रथम वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 10% की दर से परिशोधित किया जाएगा।

(ग) रत्न और आभूषण इकाईयां मौजूदा विदेश व्यापार नीति अथवा प्रक्रियाओं की हैंड बुक में निर्धारित न्यूनतम मूल्य वृद्धि प्राप्त करेंगी परन्तु यह और कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति के लिए सेवा इकाई के रूप में कार्यरत नामनिर्दिष्ट एजोंसियाँ केवल सकारात्मक निवल विदेश विनिमय की, आवश्यकता के अधीन होंगे; और

(घ) रत्न और आभूषण इकाईयां मौजूदा विदेश व्यापार नीति या प्रक्रियाओं की हैंड बुक में निर्धारित न्यूनतम मूल्य वृद्धि प्राप्त करेंगी और इसकी गणना निमानुसार की जाएगी :

मूल्य वृद्धि = $\frac{\text{क-ख}}{\text{ख}}$ X 100

जहां; -

क = वसूल किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य या प्राप्त किए गए प्रदाय का सड़क और रेल पर भाड़ा मूल्य

ख = निर्यात उत्पाद में अंतर्विष्ट सोना या चांदी या प्लेटिनम जैसी निविष्टियों (जिसके अन्तर्गत घरेलू रूप से उपाप्त भी है) रत्नों आदि जैसे अन्य मदों के मूल्य के साथ अनुज्ञेय अपशिष्ट सहित, का मूल्य। जहां कहीं सोना उधार पर अभिप्राप्त किया जाता है वहाँ मूल्य के अन्तर्गत विदेशी प्रदायों के लिए नि:शुल्क विदेशी मुद्रा में संदत्त ब्याज भी होगा।

परन्तु जहां कोई इकाई प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों या वास्तविक कठिनाई के कारण जो इकाई के प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो के कारण, शुद्ध विदेशी विनिमय को प्राप्त करने में असमर्थ है शुद्ध विदेशी विनिमय उपार्जन की गणना के लिए पांच वर्ष के ब्लॉक अवधि, को मामला - दर – मामला आधार पर, बोर्ड के अनुमोदन द्वारा और आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

29 उक्त नियमों में, नियम 54 में उप नियम (2) में " शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन " शब्दों के पश्चात शब्द या नियम 53 में यथा "विनिर्दिष्ट नियत मूल्यवर्धन" शब्द अन्त : स्थापित किए जांएगे ;